

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक – 20.01.2023

विन्ध्य कारिडोर के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर साइबर ठगी करने के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर पर दिनांक:17.01.2023 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्रान्तर्गत निवासी भानू पाठक पुत्र सूर्यप्रकाश पाठक द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध विन्ध्य कारिडोर के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर साइबर ठगी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-09/2023धारा 419,420,467,468,471 भा0द0वि0 66C,66D - I.T. Act. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए यथाशीघ्र घटना का अनावरण करते हुए घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल व साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर निर्देश दिए गये। उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक:20.01.2023 को थाना विन्ध्याचल व साइबर सेल के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा भौतिक व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलन कर घटना से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र सुखदेव सुबोध गांधी निवासी ए-20 बैंक मेन कालोनी चित्रगुप्तनगर, थाना पत्रकारनगर, जनपद पटना, बिहार को गिरफ्तार किया गया। थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत उक्त अभियोग में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

मनीष कुमार पुत्र सुखदेव सुबोध गांधी निवासी ए-20 बैंक कालोनी चित्रगुप्तनगर, थाना पत्रकारनगर, पटना बिहार, उम्र करीब 48वर्ष।

पूछताछ अभियुक्त-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मां विन्धवासनी कोरिडोर के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाया था। उक्त फेसबुक पेज पर अपने बैंक एकाउंट का QR कोड लगाकर विन्ध्य कोरिडोर के नाम पर अनुदान राशि को अपने खाते में मंगा लेते थे। प्राप्त धन राशि को अपने भौतिक सुख सुविधा के लिये प्रयोग करते थे।

बरामदगी विवरण-

02 अदद मोबाइल फोन, ठगी का 4000 रू0., आधार कार्ड

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-09/2023धारा 419,420,467,468,471भा0द0वि0 66C,66D-I.T.Act.थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार राय थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मय पुलिस टीम।

प्रभारी निरीक्षक विनीत राय साइबर सेल मय पुलिस टीम।

